

प्रेषक,

जिला समाज कल्याण अधिकारी,  
प्रयागराज।

सेवा में,

1. संयुक्त शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा), प्रयागराज।
2. सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उप्र प्रयागराज।
3. संयुक्त निदेशक, आई.टी.आई, प्रयागराज।
4. रजिस्ट्रार, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।
5. रजिस्ट्रार, प्रो राजेन्द्र सिंह (रजू भैया) राज्य विश्वविद्यालय, प्रयागराज।
6. रजिस्ट्रार, यूनाइटेड यूनिवर्सिटी, प्रयागराज।
7. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) प्रयागराज।
8. निदेशक, मोती लाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, प्रयागराज।
9. निदेशक, आई.आई.आई.टी, झलवा प्रयागराज।
10. निदेशक, आई.ई.आर.टी, प्रयागराज।
11. समस्त रजिस्ट्रार/निदेशक/प्राचार्य एवं प्रधानाचार्य, जनपद प्रयागराज।

पत्रांक: C-2847/स0क0/छात्रवृत्ति/2025-26

दिनांक: 09-10-2025

विषय: वित्तीय वर्ष 2024-25 में सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत मास्टर डाटा लॉक करने, आवेदन पत्र अग्रसारित करने व जनपदीय समिति स्तर पर निर्णय लिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 160/2025/2690/26-3-2025-1961934 समाज कल्याण अनुभाग-3 दिनांक 06.10.2025 द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वंचित समस्त वर्गों के छात्रों के पोर्टल खोला गया है। तत्क्रम में वित्तीय वर्ष 2024-25 में दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत वंचित सभी वर्गों के छात्रों को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति भुगतान हेतु समय-सारिणी निर्गत की गयी है।

अतः शासन के पत्र दिनांक 06.10.2025 की छायाप्रति पत्र के साथ संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उक्त पत्र में अंकित समय-सारिणी के अनुसार महाविद्यालयों के प्राचार्य/नोडल अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें। उक्त निर्देशों तथा नियमावली के विचलन की स्थिति में सम्पूर्ण दायित्व सम्बंधित शिक्षण संस्था/एफिलियेटिंग एजेंसी का होगा।

भवदीय,


  
(रामशंकर पटेल)

जिला समाज कल्याण अधिकारी,  
प्रयागराज।

पत्रांक: /स0क0/छात्रवृत्ति/2025-26

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

- 1- निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
- 2- जिलाधिकारी, प्रयागराज।
- 3- मुख्य विकास अधिकारी, प्रयागराज।
- 4- उपनिदेशक, समाज कल्याण, प्रयागराज मंडल, प्रयागराज।

  
जिला समाज कल्याण अधिकारी,  
प्रयागराज।

प्रेषक,

एस0पी0 गोयल

मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

समाज कल्याण विभाग,

उ0प्र लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक ०८ अक्टूबर, 2025

**विषय- वित्तीय वर्ष 2024-2025 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वंचित समस्त वर्गों के छात्रों के लिए पोर्टल खोला जाना।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 2526/स0क0/शिक्षा-अ/9/2025-26 दिनांक 29 मई, 2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-2025 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वंचित समस्त वर्गों के छात्रों के लिए पोर्टल खोले जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- तत्क्रम में वित्तीय वर्ष 2024-2025 में दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत वंचित सभी वर्गों के छात्रों को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति भुगतान हेतु निम्नानुसार समय-सारिणी निर्गत की जा रही है:-

क्र0	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	समयावधि
<b>मास्टर डाटा लॉक की कार्यवाही</b>		
1	संस्थान द्वारा मास्टर डाटा लॉक करना (कक्षा 11-12 को छोड़कर) मास्टर डाटा में प्रदेश की पूर्व से सम्मिलित संस्थाओं द्वारा पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, पाठ्यक्रमवार कुल सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाठ्यक्रमवार ऐफिलिएटिंग एजेन्सी/विश्वविद्यालय के नाम आदि सूचनाओं को अंकित/अद्यतन करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना।	10 अक्टूबर, 2025 से 14 अक्टूबर, 2025 तक
2	विश्वविद्यालय/ऐफिलिएटिंग एजेन्सी द्वारा फीस आदि का सत्यापन प्रदेश के अन्दर सम्बन्धित विश्वविद्यालय/ ऐफिलिएटिंग एजेन्सी के नोडल अधिकारी द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस आदि को अंकित कर उसकी प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन सत्यापित करना।	18 अक्टूबर, 2025 तक
	जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा फीस आदि का सत्यापन प्रदेश के अन्दर जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस आदि को अंकित कर उसकी प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से ऑनलाइन सत्यापित करना।	26 अक्टूबर, 2025 तक

31/10/25

CAO

श्री. NIC/समस्त

DM/CD0/DD/

DSWO कार्यालय

लखनऊ

सूचना विभाग

माध्यम (विभाग)

प्रति (संस्था)

दस्तावेज

6-10-2025

(सिद्धार्थ मिश्र)


सहायक निदेशक (छात्रवृत्ति)

मुख्यालय

छात्र स्तर से ऑनलाइन आवेदन/भुगतान आदि की प्रक्रिया		
4	<b>छात्रों द्वारा रजिस्ट्रेशन/ऑनलाइन आवेदन</b>	27 अक्टूबर, 2025 से 31 अक्टूबर, 2025 तक
5	<b>छात्रों द्वारा फाइनल प्रिन्ट आउट निकालना</b> छात्रों द्वारा किए गए ऑनलाइन आवेदन का फाइनल सबमिशन किया जाना।	01 नवम्बर, 2025 तक
6	<b>हार्ड कापी को छात्रों द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना</b> ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कापी छात्रों द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	01 नवम्बर, 2025 तक
7	<b>शिक्षण संस्थान द्वारा आवेदन पत्र को ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना</b> छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकोपी एवं संलग्न अभिलेखों से छात्रों के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	02 नवम्बर, 2025 तक
8	<b>विश्वविद्यालय/ऐफिलिएटिंग एजेन्सी द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन व अपात्र छात्र, पाठ्यक्रम व संस्था को ब्लॉक करना</b> सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं ऐफिलिएटिंग एजेन्सी द्वारा संस्था में अध्ययनरत वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या की प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से ऑनलाइन सत्यापित करना; अपात्र छात्रों, पाठ्यक्रमों, संस्थाओं को ब्लॉक करना।	03 नवम्बर, 2025 से 06 नवम्बर, 2025 तक
9	<b>एन0आई0सी0 द्वारा स्कूटनी</b> PFMS सॉफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त प्राप्त डाटा को एन0आई0सी0 द्वारा निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण करके शुद्ध डाटा पर निर्णय हेतु जनपदीय लॉगिन पर व छात्र के आवेदन में हुई त्रुटियों के संशोधन हेतु डाटा छात्र के लॉगिन पर उपलब्ध कराना।	03 नवम्बर, 2025 से 07 नवम्बर, 2025 तक
10	<b>त्रुटिपूर्ण आवेदन को छात्रों के स्तर से सही करना</b> छात्रों द्वारा किए गए ऑनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों को छात्र के लॉगिन में प्रदर्शित किया जाना तथा छात्रों द्वारा त्रुटियों को ठीक किया जाना।	08 नवम्बर, 2025 से 11 नवम्बर, 2025 तक
11	<b>छात्रों द्वारा सही आवेदन को जमा करना एवं संस्था द्वारा पुनः अग्रसारित कराना</b> शिक्षण संस्था द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों के आवेदन ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	12 नवम्बर, 2025 तक
12	<b>एन0आई0सी0 द्वारा पुनः स्कूटनी</b> छात्रों द्वारा सही किए गए सन्देहास्पद डाटा को एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में विभिन्न बिन्दुओं पर पुनः परीक्षण करके जनपदीय लॉगिन पर उपलब्ध कराना।	13 नवम्बर, 2025 से 18 नवम्बर, 2025 तक
13	<b>जनपदीय समिति द्वारा डाटा लॉक करना</b> जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा सन्देहास्पद एवं अवशेष शुद्ध डाटा वाले छात्रों के डाटा पर निर्णय करना तथा	08 नवम्बर, 2025 से 25 नवम्बर, 2025 तक

	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लॉक किया जाना।	
14	<b>माँग सृजन</b> जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से माँग सृजित कराना।	27 नवम्बर, 2025
15	<b>धनराशि का अन्तरण</b> जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा वाले छात्रों को PFMS प्रणाली के माध्यम से आधार सीडेड/NPCI से मैड बैंक खातों में धनराशि अन्तरित करने की कार्यवाही।	28 नवम्बर, 2025

3- उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्त समय-सारिणी का अपने स्तर से प्रचार-प्रसार कराते हुए सुसंगत शासनादेशों/ छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वंचित समस्त वर्गों के छात्रों को पोर्टल खोलते हुए समयान्तर्गत छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) का भुगतान सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,  
  
 (एस0पी0 नोयल)  
 मुख्य सचिव।

पू0सं0 एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
- 2- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 3- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/ वित्त/नियोजन/ मा0शिक्षा/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 4- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
- 5- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
- 6- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
- 7- निदेशक, पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
- 8- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 9- निदेशक, एन0आई0सी0 राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।
- 10- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
- 11- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
  
 (राजेन्द्र सिंह)  
 विशेष सचिव।